इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 22, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-3515 Jabalpur, the 26th November 2019

AMENDMENT

THE MADHYA PRADESH ARBITRATION CENTRE (DOMESTIC AND INTERNATIONAL) RULES, 2019

In the beginning, below the title "The Madhya Pradesh Arbitration Centre (Domestic and International) Rules, 2019'' the word "Notification'' and the paragraph "In execrcise of the powers conferred by Section 82 of the Arbitration and Conciliation Act, 1966 (26 of 1996), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules as to the proceedings before the Court under the said Act, namely:—'' shall be replaced by the following, namely;

"PREAMBLE

WHEREAS, the establishment of the Arbitration Centre Madhya Pradesh (Domestic & International) is an initiative of the High Court of Madhya Pradesh.

And, whereas, these Rules are framed and duly approved by the High Court of Madhya Pradesh.

Where parties have agreed to refer their disputes to the MPAC for arbitration (whether before or after a dispute has arisen), the parties shall be deemed to have agreed that the arbitration shall be conducted and administered in accordance with these Rules or (unless the parties have agreed otherwise) such amended rules as the MPAC may have adopted hereafter and may be in effect on the date commencement of the arbitration, and that such Rules have been incorporated by reference into their agreement. If any of these Rules are in conflict with a mandatory provision of law applicable to the arbitration or the arbitration agreement from which the parties cannot derogate, that mandatory provision shall prevail.''

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. 10551-5499-2019-तेरह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय (विभागीय परीक्षा) नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''6. **परीक्षा की तारीख एवं स्थान**—विभागीय परीक्षा आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अकादमी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् आयोजित की जाएगी. विभागीय परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार समुचित समय पर अकादमी में संचालित की जाएंगी.''.

2. नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''6 (क) **अभिकरण एवं विभागीय परीक्षा का संचालन**—.

(1) अकादमी परीक्षा संचालित करेगी.

(2) प्रश्न-पत्रों के समूह प्राप्त करने तथा उनका मुद्रण कराने, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराने एवं परिणाम तैयार कराने का उत्तरदायित्व अकादमी का होगा.

(3) प्रश्न-पत्रों को तैयार किये जाने के दौरान गोपनीयता बनाए रखने का उत्तरदायित्व अकादमी, सेटर, अनुसीमक एवं मूल्यांकनकर्ता का होगा.

(4) अनुसीमक द्वारा परिवर्तित प्रश्न-पत्रों को प्राप्त करने, उपांतरित करने का अनन्य अधिकार अकादमी को होगा.

(5) परीक्षा में पुस्तकों के उपयोग को अनुज्ञात किया जाएगा.''.

No. 10551-5499-2019-XIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electrical Inspectorate (Departmental Examination) Rules, 1987, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. **Date and Place of Examination.**—Departmental Examination will he held at the RCVP Naronha Administration and Management Academy Bhopal (hereinafter referred to as the 'Academy') after completion of training. Departtmental examinations will be conducted at least once every year at the appropriate time in the Academy.''.

2. After rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"6 (a) Agency and Conduction of Depertmental Examination.—

(1) The Academy shall conduct the examination.

(2) It shall be the responsibility of the Academy to obtain group of papers and get them printed, answer sheets checked and to get the results prepared.

(3) It shall be the responsibility of the Academy, the setter, the Moderator and the Valuer to maintain Confidentiality during the preparation of question papers.

(4) The Academy shall have the exclusive right to receive and modify the question papers moderated by the moderator.

(5) Use of books shall be allowed in the examination.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 12-02-2014-सात-2 भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

सूचना

मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 (2) (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, शब्द "पचास" के स्थान पर, शब्द "अस्सी" स्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश मौर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 12-02-2014-सात-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 12-02-2014-सात-2 दिनांक 12 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश मौर्य, उपसचिव.

No. F. 12-02-2014-VII-Sec 2.— Bhopal, the 12th December 2019

NOTICE

to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 109 (2) (f) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) is hereby published as required by section 112 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Revenue Department, Vallabh Bhawa, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 14, for the word "fifty", the word "eighty" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH MAURYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.